संख्याः 1 / 91 /तीस-1-2015-5(11) / 2014

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 16 जनवरी, 2015

विषयः उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों हेतु परिवहन निगम के किराया में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए ''लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा'' के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-17 / एम0डी0 / का0प्ला0 / 14 दिनांक 26-06-2014 एवं पत्र संख्या-604रो0पी0 / 130जनरल / 87टी0सी0 दिनांक 22-09-2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में साधारण यात्री किराये में अधिकतम 25 प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान करते हुए ''लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा'' के संचालन हेतु 1500 अतिरिक्त बसों को क्रय किये जाने हेतु बसों की वास्तविक लागत के बराबर धनराशि उपलब्ध वित्तीय संशाधनों के दृष्टिगत आयुक्त, परिवहन विभाग के माध्यम से उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को क्रमशः किश्तो में प्रतिवर्ष दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत साधारण यात्री किराये में वास्तविक छूट का निर्धारण समय-समय पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने वित्तीय संशाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

3- अनुरोध है कि कृपया तदनुसार प्रकरण में अग्रेतर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने व कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1 / 91(1) / तीस-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in